न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 16/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS/2021/17)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 26.02.2021

1. श्रीमती रामकन्या देवी पत्नि नाथूलाल नाई, निवासी मिठाई बाजार, चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

अधिवक्ता :
श्री रोशनलाल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
के प्रकरण संख्या 17/2019 निर्णय दिनांक 16.06.2020

निर्णय

दिनांक–26.02.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 17/2019 निर्णय दिनांक 16.06.2020 के विरूद्ध दिनांक 05.08.2020 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय

में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती रामकन्या नाई ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.10.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड़ अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां एक अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण संख्या 05/2007 दर्ज होकर दिनांक 07.03.2019 को उक्त अपील में निर्णय पारित किया कि ग्राम सेगवा के नामांतरण संख्या 290 निर्णय दिनांक 18.01.2007 को निरस्त करते हुए तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया गया कि प्रार्थीया को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रार्थीया का आवंटन अगर निरस्त नहीं हुआ हो तो प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 17/2017 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.06.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"हमने प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 07.03.2011 में प्रदत्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जांच की। यह तथ्य सही है कि श्रीमती नन्दू बाई को उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 443/17 दिनांक 04.11.1977 साबिक सेटलमेंट आराजी नम्बर 628/530 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन अवश्य हुई किन्तु यह आवंटन निरस्त हुआ अथवा प्रभाव में है, प्रार्थीया द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। भूमि को नॉन कमाण्ड की मानी जाती है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार आवंटन से प्रतिबंधित होती है। इन तथ्यों*

में भी आवंटन की वैद्यता पर प्रश्न चिन्ह खडा होता है। प्रार्थीया को आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार से पटवारी हल्का के मौका जांच से प्राप्त सेगवा की किसी भी आराजी पर कब्जा होना नहीं पाया जाता है। अब तक प्रार्थीया द्वारा भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा नहीं कराना भी आवंटन प्रभाव होने के प्रति अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। मूल आवंटी श्रीमती नंदू बाई पत्नि मांगीलाल फौत हो चुकी है अथवा जीवित है, प्रार्थीया श्रीमती रामकन्या देवी किस हक से इन अधिकारों को प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, यह तथ्य भी प्रार्थीया सिद्ध नहीं कर पाई है। इन परिस्थितियों में प्रार्थीया श्रीमती रामकन्या को आवंटन स्परूप परिलाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं ठहरता है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट की और से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.02.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस बताया कि अपीलांट मु. नंदूबाई की पत्रवधु है। आवंटी मु. नंदू बाई का निधन दिनांक 12.12.2009 को हो चुका है। नंदू बाई ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी नम्बर 628/530 रकबा 4 बीघा की वसीयत दिनांक 26.02.2007 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की है। उक्त साबिक आराजी के नवीन बंदोबस्त में आराजी नम्बर 734 रकबा 1.04 हैक्टेयर कायम होकर नवीन बंदोबस्त के दौरान बिलानाम चरागाह दर्ज कर दिया गया। उक्त

भूमि को अपने नाम दर्ज कराने बाबत श्रीमती नंदूबाई ने राजस्व अभियान ग्राम संपर्क अभियान 2007 के दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने कैम्प पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ ने मिसल संख्या 36/1998 को पारित किया कि भूमि का खाता आवंटी के नाम दर्ज किया जावें। पटवारी ने उक्त आदेश की पालना में नामांतरण संख्या 290 के द्वारा भूमि आवंटी के नाम दर्ज करने का भरा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 25.08.1998 के परे जाकर मनमकसूद तरीके से जांच रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें कि भूमि चरागाह में प्रस्तावित होने और उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अभियान के दौरान पारित आदेश की पालना न कर आक्षेप दर्ज किया है कि न्यायालय की डिक्री नहीं है और अन्य आधरहीन आक्षेप अंकित कर नामांतरण संख्या 290 खारिज करने की रिपोर्ट दर्ज की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण संख्या 290 को खारिज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की तथा अपील न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को खारिज करने के आदेश दिनांक 18.01.2007 को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि भूमि आवंटी के नाम दर्ज की जावें। अपील न्यायालय के आदेश की पालना में सिर्फ जांच करनी थी कि आवंटी श्रीमती नंदूबाई के पक्ष में सन् 1977 में हुए आवंटन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है अथवा नहीं ? परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाहरी तथ्यों से प्रभावित होकर किये गये आक्षेप के आधार पर चरागाह भूमि दर्ज होने की बिनाय पर विवादित आराजी को आवंटी नंदू बाई के नाम दर्ज करने एवं आवंटी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 26.02.2007 की रोशनी में अपीलांट के नाम दर्ज नहीं कर निश्चित रूप से विधि एवं तथ्यों की भूल की है। अभिलेख से ही यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि साबिक

बंदोबस्ती आराजी नम्बर 628/530 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन 43 वर्ष पूर्व अर्थात 1977 में अपीलांट की सास के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ है और आवंटन के पश्चात ही आवंटी भूमि का मौके पर कब्जा मु. नंदू बाई को पटवारी द्वारा सिपुर्द किया तद्उपरांत दस्तावेज के आधार पर भूमि का खाता मु. नंदू बाई के नाम दर्ज किया गया है ऐसी स्थिति में भूमि पर नंदू बाई के जीवनकाल से ही आवंटी एवं अपीलांट का निरंतर भौतिक कब्जा, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि बवक्त आवंटन आराजी नंबर 628/530 का वर्गीकरण प. ाा आवंटन से निषिद्ध भूमि नही है। यह भी कि बंदोबस्त विभाग द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण इंद्राजात को दुरूस्त कर त्वरित राहत प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम संपर्क अभियान आयोजित कर बंदोबस्त विभाग द्वारा किये ऐसे त्रुटिपूर्ण इंद्राज को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मजमा ए आम में भूमि का खाता आवंटी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियान की भावना के परे कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय पर गुणावगुण पर अपील निस्तारित की जाए।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि श्रीमती नन्दुबाई को दिनांक 26.10.77 को ग्राम सेंगवा की आराजी नं0 628/570 में रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन 04.11.77 को हुआ था। यहां उप जिलाधीश कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के आदेश से प्रकट आता है एवं इसकी पालना में नामान्तकरण 198 से गैर खातेदारी में नन्दूबाई के नाम भूमि दर्ज भी की गयी थी। अपीलाण्ट यहां यह कह कर आता है कि भू–प्रबन्ध विभाग

द्वारा उक्त भूमि को दौराने भू–प्रबंध चारागाह दर्ज कर दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह भूमि कब व किस आदेश से चारागाह दर्ज हुई। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी की अपील संख्या 5/2007 में वर्णित तथ्यों के अनुसार उक्त कथित आवंटन की पालना किये जाने के लिए दिनांक 28.05.98/25.04.98 को आदेश दिया जाना बताया गया है परन्तु उक्त आदेश की कोई प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 25.04.98 की पालना में जो नामान्तकरण खोला गया, उसमें भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.01.2007 को नामान्तकरण निरस्त कर दिया जाना बताया गया है परन्तु उक्त नामान्तकरण एवं किसी आधार पर उक्त नामान्तकरण निरस्त हुआ है, यह पत्रावली के रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील संख्या 05/2007 में अपने निर्णय दिनांक 07.03.2011 से तहसीलदार को यह निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 290 दिनांक 18.01.2007 निरस्त किया है, उक्त नामान्तकरण की जांच कर अपीलाण्ट का आवंटन अगर निरस्त नहीं हुआ है तो प्रकरण में पूर्व न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना की जाए। उपखण्ड अधिकारी के अपील संख्या 05/2007 में पारित आदेश की पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने यहां प्रकरण संख्या 17/2019 अर्न्तगत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया एवं अपने निर्णय दिनांक 16.06.2020 से उक्त कथित आवंटन के आधार पर अपने विस्तृत निर्णय से नामान्तकरण नहीं कर सकने का निर्णय पारित किया, जिसकी विचाराधीन अपील इस न्यायालय में संस्थित की हुई है।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के निर्णय के विभिन्न बिन्दुओं पर अपने विस्तृत तर्क एवं निर्णय की अवैद्यता पर अपने तर्क दिये हैं। इन समस्त तर्कों पर विचार करने व पत्रावली का रेकर्ड देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चाहे प्रकरण धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हो या सिर्फ नामान्तकरण की प्रक्रिया का, दोनों में कब्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रकरण में अपीलाण्ट अपना आवंटन वर्ष 1977 का होना बताते हैं एवं वर्ष 1977 से लेकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय वर्ष 2020 यानि पिछले 43 वर्षों में उसका विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में यह सुस्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध है कि अपीलाण्ट की उक्त भूमि पर काबिज नहीं है तो अपीलाण्ट के लिए यह लाजमी था कि वह गत 43 वर्षों में किसी भी वर्ष में उसके द्वारा (आवंटी या उसके उत्तराधिकारी) काश्त की गयी हो, ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यदि ऐसी कोई भी काश्त की जाती तो अवश्य इस बाबत् खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की जा सकती थी, जो नहीं की गयी। इससे यह सुस्पष्ट है कि विवादित कथित आवंटित भूमि पर अपीलाण्ट काबिज नहीं है। चाहे इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण हो, चाहे नामान्तकरण का प्रकरण हो, कब्जे के बिना नामान्तकरण अथवा राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि किये जाने का कोई औचित्य नहीं होता। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान अपील के अलावा अपीलाण्ट द्वारा कहीं भी अभिव्यक्त रूप से यह प्रकट नहीं किया गया है कि वह कथिक आवंटी नन्दुबाई के बजाय किसी प्रकार उसके उत्तराधिकारी है ? अपील में वह एक अपंजीकृत वसीयत प्रस्तुत करती है एवं अपंजीकृत वसीयत हमेशा विधिनुरूप प्रमाणित की जानी होती है ताकि समस्त प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को उनके हक अधिकारों बाबत् अभिव्यक्ति का अवसर मिल सकें। अपीलाण्ट रामकन्या को उक्त

अप्रमाणित वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत करना चाहिये था ताकि वारीसान की जांच की जाकर उस पर अधीनस्थ न्यायालय अपना अभिमत व्यक्त कर सकें।

हमारे सुविचारित मत में यह स्पष्ट है कि यह अपील धारा 75 में इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है जिसे हम चाहे इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश की पालना में जारी नामान्तकरण की अपील समझे अथवा तहसीलदार के धारा 135(2) के तहत नामान्तकरण के निर्णय की पालना के विरूद्ध अपील समझे, अपीलाण्ट का कब्जा कथित आंवटित विवादित भूमि पर प्रमाणित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर